राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांक 174/जयपुर/2003-04

यह प्रमाणित किया जाता है कि रवि शिक्षा समिति का पंजीयन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनाँक 17-06-2003 को किया गया था ।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर श्री श्याम एजुकेशन सोसाइटी कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील से आज दिनाँक 05-09-2018 को जयपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
एवं उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ जयपुर

PRINCIPAL
S S International School
Shree Shyam Enclave Near Ganesh
Nagar, Main Niwaru Road, Jaipur

MANAGER
S S International School
Shree Shyam Enclave Near Ganesh
Nagar, Main Niwaru Road, Jaipur